150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांकः 27.07.2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः– रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र **दिनांक 24.02.2020** (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये है।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करवाने के प्रयोजनार्थ इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र **दिनांक 29.05.2020** (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि सभी विभागों को अपने–अपने विभाग में सभी संवर्गो के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित करने हेतु **दिनांक 20.08.2020** तक का समय दिया जाता है। सभी विभागों द्वारा इस तिथि तक रोस्टर पंजिकाए पूर्ण कर **दिनांक 31.08.2020** तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत किया जायेगा कि उनके विभाग में सभी सेवा संवर्गों के सम्बन्ध में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर पंजिकाएँ पूर्ण रूप से संधारित है। रोस्टर पंजिका संधारण एवं उक्त प्रमाण–पत्र के अभाव में दिनांक 31.08.2020 के पश्चात सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी की होगी।

विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा के अवसरो पर यह ध्यान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशोपरान्त भी कई विभागों द्वारा इस संबंध में ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि उचित नहीं है। अतः समस्त संबंधित को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना करते हुए शीघ्रता पूर्वक रोस्टर पंजिका संधारित कर, अद्यतन सूचना से इस विभाग को अवगत करावें।

(शैली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गण।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

44/2020